न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश, सिवान

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–47/2026

सिवान एस.सी/एस.टी. थाना कांड सं0–81/2025 से उत्पन्न

अंतर्गत धारा–126(2), 115(2), 117(1), 118(1), 109, 352, 351(2), 3(5), बी.एन.एस. एवं धारा 3(1)(r),3(1)(s), 3(2)(va) अनु.जा.ज.जा. अधिनियम

(आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा–482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता)

बिट्टू कुमार व अन्य..... आवेदकगण/अभियुक्तगण

बनाम

बिहार राज्य द्वारा लोक अभियोजक ..... विपक्षी

उपस्थितः–श्री मनोज कुमार सिंह नं. 01, विद्वान अधिवक्ता, आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से
श्री भागवत राम, विद्वान अपर लोक अभियोजक, विपक्षी की ओर से

आ–दे–श

10.04.2026

आवेदकगण/अभियुक्तगण 1. बिट्टू कुमार 2. मंटू कुमार 3. संजय सिंह 4. सोनू सिंह 5. नीतिश कुमार 6. प्रदुम्न सिंह की ओर से एस.सी./एस.टी. थाना कांड संख्या 81/2025, अंतर्गत धारा–126(2), 115(2), 117(1), 118(1), 109, 352, 351(2), 3(5) बी.एन.एस. एवं धारा 3(1)(r),3(1)(s), 3(2)(va) अनु.जा.ज.जा. अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तारी की आशंका से यह अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत दाखिल किया गया।

अग्रिम जमानत आवेदन संचालित किया गया। आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विपक्षी की ओर से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक की बहस को सुना गया।

संक्षेप में, सूचक रोहित कुमार के द्वारा दिए गए परिवाद पत्र आवेदन के आधार पर अभियोजन कथानक यह है कि सूचक अनुसूचित जाति का सदस्य है वह दिनांक 09.06.205 को समय करीब 04:00 बजे शाम को अपने बड़े पापा के बेटा गुलशन कुमार के साथ सुन्दरपुर टोले पर खेत जोतवाने के लिए ट्रैक्टर लाने जा रहा था, जैसे ही गॉव के उतर शमशान घाट के पास कोचिंग सेंटर के पास पहुॅचा। वहॉ पर पहले से मंटु कुमार, बिट्टू कुमार, सोनू सिंह, संजय सिंह, नितिश कुमार, प्रदुम्न सिंह अपने–अपने हाथ में लिए बैट, विकेट एवं रड लिए हुए थे जो सूचक एवं उसके भाई को घेर लिये। मंटू सिंह ने कहा कि साला चमार कहा जा रहा है। क्या बात है तब सूचक ने बोला कि खेत जोतवाने के लिए ट्रैक्टर बुलाने जा रहा हूॅ। तब सोनू सिंह ने कहा कि साला चामार ट्रैक्टर लाने टोला पर जा रहा है। तुमलोग खेत कुदाल से क्यों नहीं कोड़ता है। सूचक जब गाली देने से मना किया तो मंटू सिंह ने कहा कि साला चमार ज्यादा बोलता है, इसे जान से मारकर खत्म कर दो, नही तो इन चमारो का मन बढ़ जायेगा। तभी रंजय सिंह ने जान मारने की नियत से उसे नंगा कर दिया और नंगा कर बैट से पीटा, जिससे दोनों हाथ, जॉघ, गर्दन और कई जगह चोट लगा एवं जख्मी हो गया जिससे वह नहीं बोल पा रहा था और न उठ पा रहा था। मंटू सिंह ने रड से गुलशन कुमार को दोनों जॉघ पर मारकर जख्मी कर दिया। रड से मारकर गुलशन कुमार के बॉये हाथ के छोटी अंगुली तोड़ दिया। प्रदुम्न सिंह ने कहा कि अब किसी भी चमार को ट्रैक्टर से खेत जोतने नहीं दूॅगा। उसके बाद सभी उन दोनों को नंगा करके शमशान स्थान से मठिया तक मारते हुए घुमाए। सभी अभियुक्तगण शराब माफिया है एवं अपने को दबंग जाति का बताते हैं। सभी लोग अनुसूचित जाति

लगातार
10.04.2026

के सदस्य समझकर मान–सम्मान प्रतिष्ठा का हनने करने के उद्देश्य से ऐसा घटना किये हैं। दोनों जख्मी का इलाज प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र बड़हरिया में हुआ।

आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदनपूर्वक बहस किया गया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण निर्दोष है उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, उन्हें झूठे मुकद्मा में फंसाया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से इस जमानत आवेदन के अलावे अन्य कोई भी नियमित या अग्रिम जमानत आवेदन इस न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष दाखिल नहीं किया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह भी निवेदन किया गया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं। अभियोजन कहानी झूठा, आधारहीन एवं मनगढ़ंत है तथा उनके विरूद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदनपूर्वक बहस किया गया कि प्राथमिकी के अवलोकन से कुछ गंभीर विरोधाभास सामने आते हैं जो साबित करता है कि कहानी मनगढ़ंत और काल्पनिक है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि कथित घटना की प्राथमिकी तीन माह के विलंब से दर्ज कराई गई है जबकि थाना की दूरी महज 15 किलोमीटर है, विलंब से प्राथमिकी दर्ज कराने का कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं है। आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदनपूर्वक यह भी कथन किया गया कि सूचक एवं उसके भाई के शरीर पर वैसी कोई चोट नहीं है जैसा कि प्राथमिकी में बताया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण के फरार होने तथा उनके द्वारा अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित करने की संभावना नहीं है और न्यायालय द्वारा जो भी आदेश दिया जाएगा उसका वे लोग पालन करेंगे। अतः उनकी ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत करने का निवेदन किया गया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत निवेदन का विरोध किया गया और कथन किया गया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन अनु.जा.ज.जा. अधिनियम की धारा 18 एवं 18A से बाधित होने के कारण पोषणीय नहीं है।

उभय पक्षों के निवेदन के आलोक में अभिलेख अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत आपराधिक वाद, एस.सी./एस.टी. थाना कांड संख्या 81/2025, आवेदकगण/अभियुक्तगण के द्वारा भारतीय न्याय संहिता की धारा–126(2), 115(2), 117(1), 118(1), 109, 352, 351(2), 3(5) बी.एन.एस. एवं धारा 3(1)(r),3(1)(s),3(2)(va) अनु.जा.ज.जा. अधिनियम के अंतर्गत अपराध कारित करने के लिए संस्थित किया गया है और आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध अनुसूचित जाति के सदस्य सूचक एवं उसके भाई के साथ जाति सूचक गाली–गलौज कर बैट, विकेट एवं रड से मारने का अभियोग है। अभिलेख पर उपलब्ध कांड दैनिकी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अभियोजन साक्षियों ने अपने साक्ष्य में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है (कांड दैनिकी की कंडिका 5,6,7,8,9)। प्राथमिकी एवं कांड दैनिकी में आये साक्ष्य से आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध इस आपराधिक मामले में अन्य धाराओं के साथ–साथ अनु.जा.ज.जा. (अ.उ.) अधिनियम का प्रथम दृष्टया अभियोग आकर्षित होता है। ऐसी स्थिति में दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन अनु.जा.ज.जा. (अ.उ.) अधिनियम की धारा 18 एवं 18 A से बाधित होने के कारण पोषणीय नहीं है।

लगातार
10.04.2026

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाना न्याय संगत एवं न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है, तद्नुसार आवेदकगण/अभियुक्तगण 1. बिट्टू कुमार 2. मंटू कुमार 3. संजय सिंह 4. सोनू सिंह 5. नीतिश कुमार 6. प्रदुम्न सिंह की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को **अस्वीकृत** किया जाता है।

लेखापित
ह0/–
(सुशील कुमार त्रिपाठी)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, सिवान।